

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल परखवाड़ा-2025

शिविर- चौथ का बरवाड़ा

प्रकरण संख्या:- 163/2021 -

दिनांक:- 4/7/2021 -

श्रीमती गुलाब देवी  
पति स्व. गजाधर

उपखण्ड

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का पाँवडेरा भू अ. नि. पाँवडेरा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंभा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम पाँवडेरा पो 80 पाँवडेरा की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 70 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	रहन	श्रीमती गुलाब देवी पति स्व. गजाधर रहन SBBJ	श्रीमती गुलाब देवी पति स्व. गजाधर रहन SBT

शाखा चौथ का बरवाड़ा शाखा चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चौथ का बरवाड़ा (सं मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री गुलाब देवी पो 80 स्व. गजाधर
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चौथ का बरवाड़ा (सं मा०)